राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर ।

क्रमांक : एफ 25 (ई /118) स्था./आकाशि/10/ 1094 दिनांक 13-09-2010

1 प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय, (पुरूष/महिला)
राजस्थान

2. सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा
जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा/जयपुर/भरतपुर ।

विषय :-पीएचडी/एमफिल योग्यता धारण करने पर कालेज व्याख्याताओं को सेवा प्रवेश पर/सेवारत योग्यता प्राप्त करने पर/चयनित वेतनमान के समय अतिरिक्त वेतन वृद्धियों को लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :-वित्त विभाग की अधिसूचना एफ 13(2)एफडी/नियम/98 दिनांक 19.2.2001

वित्त विभाग के संदर्भित अधिसूचना द्वारा राजकीय कालेज व्याख्याताओं को पीएचडी/एमफिल की योग्यताधारण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियों का लाभ देने हेतु राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान राजकीय कालेज व्याख्याता, पी.टी.आई. एवं पुस्तकालयाध्यक्ष) नियम 2001 में नियम 11 प्रतिपादित करने की अधिसूचना जारी की गई । जिसमें निम्न प्रावधान किया गया था :-

Rules 11- Incentivites for Ph.D/M.Phil

(a) Four and two advance increments will be admissible to those who hold Ph.D and M.Phil degree respectively at the time of recruitment as Lecturers.

(b) One increment will be admissible to those teachers with M.Phil who acquire Ph.D within two years of recruitment.

(c) A Lecturer with Ph.D will be eligible for two advance increments when she/he moves into selection scale.

(d) A teacher will be eligible for two advance increments as and when he acquires a Ph.D degree in his service career provided that he/she has not availed the advance increment admissible for possessing M.Phil degree at the time of recruitment."

वित्त विभाग की अधिसूचना एफ 13 (2) वित्त वि. (नियम)98 दि0 6.5.2002 के द्वारा उक्त अधिसूचना के प्रावधान 11 को विलोपित (delat) कर दिया गया है ।

वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.2.01 के अनुसरण में विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों द्वारा व्याख्याताओं के स्वीकृत अतिरिक्त वेतनवृद्धि आदेशों को महालेखाकार कार्यालय के अंकेक्षण दल द्वारा जांच करने पर अनियमिततायें पायी गई तथा सम्बन्धित व्याख्याताओं के वेतन निर्धारण को संशोधित करने एवं अधिक भुगतान की वसूली हेतु आक्षेप लिये गये है ।

महालेखाकार कार्यालय के निरीक्षण दल ने अपने आक्षेप में अंकित किया है कि पीएच.डी./एम.फिल डिग्री प्राप्त करने पर क्रमशः चार एवं दो अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ महाविद्यालयों द्वारा सेवा में प्रवेश के समय/सेवा के दौरान उक्त योग्यता प्राप्त करने पर दिया गया साथ ही चयनित वेतनमान की स्वीकृति पर वेतन निर्धारण के समय भी उक्त योग्यता पर पुनः अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ स्वीकृत कर दिया गया है, जबकि एक योग्यता का लाभ एक बार ही देय होता है ।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रकरण को वित्त (नियम) विभाग में निर्णयार्थ प्रेषित किया गया । जिस पर वित्त (नियम) विभाग ने अपनी आई.डी. सं0 221000143 दिनांक 10.2.10 एवं आई.डी. सं0 221001241 दिनांक 23.08.10 के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि महालेखाकार कार्यालय के ऑडिट द्वारा, पी.एच.डी./एम.फिल डिग्री प्राप्त करने पर देय अग्रिम वेतन वृद्धि का दोहरे लाभ के सम्बन्ध में लिया गया आक्षेप सही है तथा आडिट आक्षेप के अनुसार पालना करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक एफ 1 ( ) विविध/लेखा/निकाशि/09/1290 दिनांक 2–03–10 के क्रम में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पी.एच.डी/एम.फिल योग्यता की अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ एक बार ही देय होगा । इसलिए आपके कार्यालय में कार्यरत व्याख्याताओं को पी.एच.डी./एम.फिल पर स्वीकृत अग्रिम वेतन वृद्धियों की जांच की जाकर यह ज्ञात करें कि किसी व्याख्याता को उक्त योग्यता पर वेतन वृद्धि का लाभ दो बार नहीं दे दिया गया है । यदि किसी व्याख्याता को दो बार लाभ दे दिया गया है तो तुरन्त उसका वेतन संशोधित किया जाकर यू.जी.सी. वेतनमान 2009 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण/संशोधित वेतन निर्धारण करवाया जाकर माह सितम्बर 2010 के वेतन से संशोधित वेतन का भुगतान किया जावे ।

आयुक्त
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 25 (ई /116) लेखा/आकाशि/08/ 1094 दिनांक 13-09-2010

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर
2. उपशासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) राजस्थान जयपुर ।
3. उपशासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
5. संयुक्त निदेशक (कार्मिक/स्थापना) कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
6. प्रभारी कम्प्यूटर शाखा, को उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु ।
7. कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर।

आयुक्त
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
13-9-10